Name & address .....
Registration No. .....

Signature of Architect .....
Name & address .....
Registration No. .....

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं.18 सन् 2009) की धारा 339 व 340 सपठित धारा 105 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, जोधपुर एतदद्वारा निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है:–

नामत :–

(1) शीर्षक, सीमा व प्रभाव :–

(1) ये उपविधियाँ नगर निगम, जोधपुर ट्रेड लाईसेंस उपनियम, 2010 कहलायेगी।

(2) य उपविधियाँ नगर निगम, जोधपुर की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी।

(3) ये उपविधियाँ राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(2) परिभाषाएँ :–जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न आती हो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषऐं निम्न प्रकार व्यवहृत रहेगी। निम्नांकित शब्दों के अतिरिक्त इन उपविधियों में प्रमुख शब्दों की परिभाषा वही होगी जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में परिभाषित है :–

(1) "**अधिनियम**" से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है।

(2) "**महापौर**" से तात्पर्य नगर निगम, जोधपुर के महापौर से है तथा प्रशासक की अवस्था में प्रशासक सम्मिलित है।

(3) "**अध्यक्ष**" से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अंतर्गत गठित समिति के अध्यक्ष से है।

(4) "**आयुक्त**" से तात्पर्य नगर निगम, जोधपुर के आयुक्त से है जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी सम्मिलित है।

(5) "**अनुज्ञाधारी**" से तात्पर्य अनुज्ञा पत्र धारक से है। इसमें उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तकस्थ सेवक सम्मिलित है।

(6) "**अनुज्ञापत्र**" से तात्पर्य इन उपविधियों के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले या किये गये अनुज्ञापत्र से है।

(7) "**अनुज्ञा प्राधिकारी**" से तात्पर्य नगर निगम के उस अधिकारी से है जो निगम द्वारा इन उपनियमों के प्रयोजनार्थ अनुज्ञाप्राधिकारी नियुक्त किया जावे।

(8) "**निगम**" से अभिप्रेत नगर निगम जोधपुर से है।

(9) "**प्रपत्र**" से तात्पर्य इन उपनियमों के साथ संलग्न प्रपत्रों से है।

(10) "**एयर कण्डीशन**" से तात्पर्य उस स्थान अथवा स्थानों से है जहां बिजली से चालित ऐसी वस्तुओं का निर्माण, विनिर्माण, विक्रय आदि होता हो।

(11) **"शराब की दुकान"** से तात्पर्य उस स्थान/दुकान से है जहां शराब (देशी, भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर) आमजन के विक्रय के लिये उपलब्ध हो अथवा उसका संग्रहण स्थल हों।

(12) **"पैट्रोल पम्प"** से तात्पर्य उस स्थान से हैं जहां पैट्रोल का विक्रय आमजन के लिये उपलब्ध हो अथवा उसका संग्रहण स्थल हो।

(13) **"ज्वेलरी शोरूम"** से तात्पर्य उस स्थान/दुकान/शोरूम से है जहां आभूषणों का विक्रय आमजन के लिये हो अथवा उनका परिमार्जन, संधारण, संग्रहण आदि हो।

(14) **"निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम"** से तात्पर्य ऐसे अस्पताल/नर्सिंग होम अथवा स्थान से हैं जहां बीमारियों का इलाज होता हो तथा जहां रोगियों को भर्ती करने एवं उनके उपचार की व्यवस्था हों।

(15) **"कार शोरूम"** से तात्पर्य ऐसे स्थान/दुकान/शोरूम से है जहां विभिन्न ब्राण्ड की कारों का प्रदर्शन एवं विक्रय होता हों तथा जो आमजन के लिये भी विक्रयार्थ रखी जाती हों।

(16) **"अन्य प्रत्येक प्रकार के व्यवसायी"** से तात्पर्य ऐसे व्यवसायियों से है जो उपरोक्त के अतिरिक्त व्यवसाय कर रहे हों जिनके शोरूम (माल्स) आदि भी सम्मिलित हो।

(3) **निषेध** :-

नगर निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी बिना नगर निगम की अनुज्ञा प्राप्त किये व्यापार नहीं कर सकेगा। बिना अनुज्ञा प्राप्त व्यवसाय करने वाले के विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा उसके तहत बने विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु निगम स्वतंत्र होगा।

(4) **अनुज्ञा-प्राधिकारी की नियुक्ति**:-

इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ आयुक्त अनुज्ञा-प्राधिकारी होगा।

(5) **अनुज्ञा-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र** :-

(1) कोई भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी जो ट्रेड लाईसेंस उपनियम के तहत किसी दुकान/संस्था/कम्पनी को प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है, वह प्रपत्र-1 में जो नगर निगम से 1 रुपये मूल्य पर प्राप्त होगा। प्रार्थना-पत्र अनुज्ञाप्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का दोहरा मानचित्र तथा अपने मालिकाना/किरायेदारी सें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(2) **खण्ड (1)** में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञाप्राधिकारी प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेगा तथा अपने आपको इस बात के लिये आश्वस्त करेगा कि प्रस्तावित वित स्थल वाणिज्य/व्यवसाय के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्रकार से उपयुक्त है, तथा उससे किसी प्रकार का जन अनुत्रास, जन असुविधा या जन उत्पीड़न नहीं होगा।

(3) **खण्ड (2)** में अनुज्ञा प्राधिकारी के आश्वस्त हो जाने पर वह अनुज्ञार्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने का आदेश देगा तथा अनुज्ञार्थी द्वारा ऐसा निर्धारित शुल्क जमा करा दिये जाने पर प्रपत्र-2 में अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा।

(4) अनुज्ञा अप्राधिकारी खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने तथा खण्ड (2) के अनुसार स्थल का निरीक्षण के पश्चात् अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के लिये यदि आश्वस्त न हो तो वह लिखित में करण अभिलिखित करते हुए प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करेगा अथवा जो दोष हो उन्हें यथोचित अवधि में जो अनुज्ञार्थी को सूचित करेगा। यदि निर्दिष्ट समयावधि में अनुज्ञार्थी द्वारा दोष दूर नहीं किये जावे तो प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत समझा जायेगा।

(6) **अनुज्ञा-पत्र की अवधि** :- इन उपविधियों के अधीन निर्धारित प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र की अवधि 1 अप्रेल से 31 मार्च तक 1 वर्ष के लिए होगी

(7) **अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण:-**

(1) प्रत्येक वर्ष अनुज्ञा-पत्र निर्दिष्ट शुल्क जमा कराये जाने पर उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। बशर्ते अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण किये जाने में अनुज्ञा-प्राधिकारी को किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति न हो। अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण किये जाने से किसी प्रकार की आपत्ति किये जाने पर अनुज्ञाधारी को लिखित में कारण अंकित करते हुये तदनुसार सूचित किया जावेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञाधारी अनुज्ञा-पत्र की अवधि समाप्त होने पर 30 अप्रेल तक उसका नवीनीकरण करा सकेगा, इसके पश्चात् 5.00 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क देय होगा। -

(8) **अस्थायी अनुज्ञा-पत्र :-**

(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी विशिष्ट अवसर पर किसी स्थान को उपनियमों में अंकित ट्रेड व्यवसाय को दुकान/संस्था/कंपनी के रूप में प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है, वह तत्प्रयोजनार्थ अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जिसकी अवधि 1 माह से अधिक नहीं होगी, प्राप्त कर सकेगा।

(2) खण्ड (1) में नियमित किये जाने वाले अस्थायी अनुज्ञा-पत्र का शुल्क निर्धारित शुल्क का 1/6 भाग होगा।

(9) **अनुज्ञा-पत्र अहस्तान्तरणीय होगा :-**

(1) इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी किया गया कोई भी अनुज्ञा-पत्र जिस स्थान व व्यक्ति/ संस्था/ कंपनी के लिए अथवा जिस कार्य के लिए स्वीकार किया जायेगा उसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हो सकेगा तथा अनुज्ञा-पत्र अहस्तान्तणीय होगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञाधारी अनुज्ञा-पत्र को अपने वाणिज्यिक स्थान पर कांच के फ्रेम में मंढकर सहज दृष्टव्य स्थान पर प्रदेर्शित करेगा।

(10) **अनुज्ञा-पत्र का निलंबन या निरस्तीकरण :-**

(1) कोई भी अनुज्ञा-पत्र जन सुरक्षा अथवा जन स्वास्थ्य के आधार पर अथवा अनुज्ञाधारी द्वारा इन उपविधियों में प्रावधित प्रतिबन्धों व शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा निलंबन या निरस्त किया जा सकेगा।

(2) खण्ड (1) में अनुज्ञा-पत्र के निरस्तीकरण करने से पूर्व अनुज्ञाधारी को एतदर्थ कारण बताने का यथोचित अवसर प्रदान किया जायेगा।

(3) खण्ड (2) में अनुज्ञा-पत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण किये जाने के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी को इन उपनियमों के अन्तर्गत अभियोजित भी किया जा सकेगा।

(11) **अनुज्ञा-पत्र का शुल्क :-**

अनुज्ञा-पत्र का शुल्क निम्नानुसार देय होगा -

		प्रतिवर्ष
(1) एयर कण्डीशन	-	2500/-
(2) शराब की दुकान	-	2500/-
(3) पैट्रोल पम्प	-	5000/-
(4) ज्वैलरी शोरूम	-	5000/-

(5) निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम – 10000/–

(6) कार शोरूम – 10000/–

(7) (अ) उस के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार के व्यवसायिओं से 500 वर्गफुट से 1000 वर्गफुट तक के लिये। – 500/–

(ब) 1001 वर्गफुट से 2000 वर्गफुट तक के लिये – 5000/–

(स) 2001 वर्गफुट से अधिक शोरूम (मॉल्स) आदि के लिये – 25000/–

(12) अनुज्ञा–पत्र की सामान्य शर्तें :– इन उपविधियों के अंतर्गत प्रत्येक अनुज्ञा–पत्र निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जावेगा–

(1). जिस स्थान के लिये अनुज्ञा–पत्र दिया जाना प्रस्तावित है वह अपेक्षित व्यापार के लिये उपयुक्त और पर्याप्त रूप से विस्तीर्ण होगा।

(2) अनुज्ञापत्रित स्थान पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त एवं संवातित होगा।

(3) अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्रित क्षेत्र को सदैव स्वच्छ रखेगा।

(4) अनुज्ञापत्रित स्थान पर एकत्रित होने वाले कूड़े–करकट को एतदर्थ रखे गये कचरापात्रों में एकत्रित किया जावेगा तथा प्रत्येक दिवस एकत्रित कूड़े–करकट को निर्धारित स्थान अथवा निगम के संवाहक को सुपुर्द करेगा तथा प्रतिदिवस ऐसे पात्र को स्वच्छ रखेगा।

(5) अनुज्ञा–पत्र जारी किये जाने से अनुज्ञाधारी को स्वामित्व के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

(6) अनुज्ञापत्रित स्थान का भू–उपयोग परिवर्तन कराना आवश्यक होगा।

(7) अनुज्ञापत्रित स्थान के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था अनुज्ञाधारी को स्वयं के स्तर पर नियमानुसार करानी आवश्यक होगी।

(8) इसके अतिरिक्त निगम द्वारा समय–समय पर आवश्यक्तानुसार निर्धारित अन्य शर्तों की पालना अनुज्ञाधारी को करनी आवश्यक होगी।

(13) विशेष शर्तें :–

(1) अनुज्ञापत्रित स्थान/परिसर में अग्निशमन संबंधित उपकरण लगाकर तदनुसार व्यवस्थाएँ करनी अनुज्ञाधारी को आवश्यक होगी तथा जिसकी एन.ओ.सी. निगम से अलग से प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) अनुज्ञाधारी एवं नगर निगम के मध्य विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

(14) निरीक्षण :–

(1) अनुज्ञाधारी वाणिज्यिक भवन में एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जो आयुक्त अथवा निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षणार्थ सदैव खुली रहेगी।

(2) [illegible]

निरीक्षण की रिपोर्ट अनुज्ञाप्राधिकारी को देंगे जो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट को एतदर्थ रखी गई निरीक्षण पुस्तिका में भी अंकित किया जावेगा। अनुज्ञाधारी निरीक्षण के समय उक्त प्राधिकारियों को निरीक्षण हेतु प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा।

(3) आयुक्त अनुज्ञाप्राधिकारी निगम द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक या अन्य अधिकारी ऐसे स्थान से अस्वास्थ्यकर आरोग्यहीन या मिस–ब्रांड मानव उपयोग के लिये अनुचित द्रव्य को स्वयं हटाने या उन्हें हटवाने के अतिरिक्त अनुज्ञाधिकारी के विरुद्ध उपविधियों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा किये जाने के लिये सक्षम होगा।

(4) आयुक्त, अनुज्ञाप्राधिकारी अथवा निगम द्वारा प्राधिकृत–अधिकारी व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात आश्वस्त हो या अनुज्ञाप्राधिकारी के पास निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह संतुष्ट हो कि अनुज्ञाधारी इन उपविधियों का उल्लंघन कर रहा है, अथवा शर्तों–शर्तों अनुपालन नहीं कर रहा है तो अनुज्ञाधारी उनको अभियोजित किये जाने की अपेक्षा उक्त प्राधिकारी ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो उपविधियों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो तथा अनुज्ञाधारी द्वारा दिये गये ऐसे निर्देशों का पालन तत्काल किया जावेगा।

(15) अनुज्ञाधारी द्वारा निर्देश आदि :–

(1) इन उपविधियों में कोई बात न होते हुए भी अनुज्ञाप्राधिकारी उपविधियों को भली प्रकार कार्यान्वित किये जाने के लिए यथोचित आदेश व निर्देश प्रसारित करने हेतु सक्षम होगा तथा स्वामी या अनुज्ञाधारी द्वारा उनका तत्काल पालन किया जावेगा।

(2) विशेष असाधारण परिस्थितियों में जिनको लिखित में अभिलेखित किया जावेगा तथा जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उपयुक्त कारण होने पर अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा उपविधियों में निर्धारित शर्तों में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

(3) इन उपविधियों की कार्यवन्ती का उत्तरदायित्व अनुज्ञाप्राधिकारी का होगा।

(16) अपील :–

इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञाप्राधिकारी (आयुक्त) द्वारा दी गई किसी भी आज्ञा के विरुद्ध आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में मेयर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी तथा मेयर का निर्णय अन्तिम होगा।

(17) शास्तियां :–

(1) इन उपविधियों में किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को उसके दोषी ठहराये जाने पर दण्डनायक द्वारा उसके प्रथम दोष के लिये ऐसी शास्ति जो 5000/– रुपये से अधिक न हो, का भागी बना देगा और उसके पश्चात् वह प्रत्येक अनुव्रती दोष के लिये प्रतिदिवस 100/– रुपये तक के अर्थदण्ड का भागी होगा।

(2) उपविधियों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त दावों की वसूली स्वामी से अधिनियम के अध्याय 7 में प्रावधित रीति से की जावेगी।

(18) समझौता :–

इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ राजस्थान नगरपालिका (अपराधों का प्रशमन और समझौते) नियम 19[illegible] के प्रावधानों के अनुसरण में महापौर द्वारा अपराधों का अभिसंधान या समझौता किया जा सकेगा।

प्रपत्र-1

[देखिये उपनियम 5 (1)]

ट्रेड लाईसेंस उपनियम के लिए अनुज्ञा-पत्र का प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

श्रीमान् अनुज्ञाप्रधिकारी महोदय,

नगर निगम, जोधपुर।

महोदय,

मैं/हम नगरनिगम की सीमा में ट्रेड लाईसेंस उपनियम, 2010 के तहत दुकान/व्यक्ति/संस्था/कंपनी को खोलना चाहता हूँ/चाहते हैं, जो चालू है के लिए अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना चाहता हूँ/चाहते है। इस संबंध में आवश्यक विवरण इस प्रकार है :-

1. अनुज्ञार्थी का नाम व पूरा पता .....
   1. मौहल्ला व वार्ड .....
   2. रास्ता या बाजार .....
   3. सीमायें .....
2. पिता का नाम .....
3. निवासी .....
4. आयु .....
5. स्थान का विवरण .....
6. अन्य आवश्यक विवरण .....

स्थान का मानचित्र दो प्रतियों में संलग्न है।

अतः निवेदन है कि मुझे/हमें कृपया अनुज्ञा-पत्र जारी करावें। मैं/हम प्रतिज्ञा करता हूँ/करते है कि नगरनिगम, जोधपुर ट्रेड लाईसेंस उपनियम, 2010 में प्रावधित प्रावधानों से आबद्ध रहुंगा/रहेंगे तथा उनकी पूर्णरूपेण पालना करूंगा/करेंगे।

अनुज्ञा-पत्र शुल्क मांगे जाने पर तत्काल नगरपारिषद् कोष में जमा करवा दूंगा/देंगें।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

प्रपत्र-2

[देखिये उपनियम 5 (3)]

अनुज्ञा-पत्र

श्री..... नाम /पुत्र/पुत्री..... पिता का नाम .....
..... जाति ..... आयु .....अभिज्ञान चिन्ह .....निवासी .....
..... स्थाई पता को निम्नांकित ट्रेड लाईसेंस उपनियम, 2010 के तहत दुकान/व्यक्ति/संस्था/कंपनी को चलाये जाने हेतु एतद्द्वारा अनुज्ञापत्रित किया जाता है।

विवरण

यह अनुज्ञा-पत्र तिथि से तिथि तक वैध रहेगा तथा नगर निगम जोधपुर ट्रेड लाईसेंस उपनियम, 2010 के अधीन होगा।

अनुज्ञा प्राधिकारी
नगर निगम, जोधपुर।